

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो इस हुक्म की तामील  
में जारी हुए

ज्यायालय 34 लॉड आर्चबाशी नीमराज (अकोवा)

मु.नं० 133/20 प्रवेरादि० 19.8.20 प्रि.दि.दि० 20.12.21

अनुमान, राम मेहर शर्मा पुत्र सोहन लाल जगदि ब्राह्मण  
निवासी बकासि तहसील नीमराज जिला-अकोवा  
जगत

1) लॉड होस्ट (जो के तदखीलदा नीमराज)  
दाक दुसरी इलाजात अकोवा तहसील 88, 89 RTM

उपाक्षेप:-

- 1- श्री मुकेश कुमार सिरोहीवाल रुड़. वादी
- 2- पेंसेकार सरकार

निर्णय

दि० 20-12-21

आज भद्र पंचमिनी प्रवाहन गांवों संग आमेकान  
गा.पं० नगली बकासि पर पत्रा दुकी पत्राणी में संक्षिप्त  
विवरण निम्नानुसार है कि आठक 537, 539, 541,  
539, 540, 522, 541 वार्ड गांव नगली बकासि तहसील  
जिला-अकोवा (राजपू) में स्थित है। जिले का वादी  
का नाम गांव की भाषा में बोले जाने वाला सोहन  
पुत्र सोहन लाल दत्त कल दिमा गांव जिले का मुक  
विम आधार कार्ड, पेंग कार्ड, जीन आधार कार्ड, न  
परिवार शशान कार्ड, सरपंच गांव पंचायत नगली  
बकासि हाप जाती प्रमाण पत्र के आधार पर  
दुसरी मिजागत " राम देव पुत्र सोहन लाल के  
स्थान पर राम मेहर शर्मा पुत्र सोहन लाल अर्थात्  
मिजा जाती तथा इसी प्रकार से बापदक दिदि  
में आगल दामद मिजा जाती न कोक दिदि  
मभावत रखा जाये।


हमने वकील नदी की बहस सुनी गई। पत्रा  
पर उपरोक्त इलाकेगात्र का स्थान पूर्व के अकोवा जिले  
गांवों। इस प्रकार पत्राणी पर उपरोक्त इलाकेगात्र  
रुड़ वादी के शपथ पत्र व सरपंच गांव पंचायत  
नगली बकासि हाप जाती प्रमाण पत्र के आधार



बाद पत्र स्वीकार होकर पात्रा जाता है।

अतः बाँद बाँकी स्वीकार किया जाता है कि हाल खन्ना 537, 911, 539, 548, 522, 541 बाँके ग्राम नगरी बलाई तहसील मराना जिला-अजमेर (राज.) के हाल राजस्थान विकास बोर्ड में जहाँ पर राम देव पुत्र सोहन लाल दर्ज किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दुबारा किया जाता है कि राम देव राम शर्मा पुत्र सोहन लाल दर्ज किसे जामे होकर ही जा रहा है। तथा इसी अनुसार हाल राजस्थान विकास बोर्ड में मराना तहसील मराना में अंकन करने के आदेश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट रहेगा कि हाल राजस्थान विकास बोर्ड में अंकन करने हेतु तहसील मराना की आदकाम जारी है। पत्रावली में सुना होकर मराना के कत्र है। बाँद पूर्व जमा मिला लेख मराना है।

आप यह निर्णय मेरे शेष लिखित आदेश विनिवेश नगरी बलाई पर सुनाया गया।

  
शिबिर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी नीमराना  
अजमेर (राज.)